

# 03 हिन्दुस्तान

पटना • मंगलवार • 10 जनवरी 2017



24° | 11°  
अधिकतम | न्यूनतम  
सूर्योदय: 06:37  
सूर्यास्त: 17:16

## जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अब पांच जगहों पर बनेंगे

पटना | वरीय संवाददाता

शहरवासियों को अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए निगम मुख्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अब यह सुविधा उनके घर के आसपास ही उपलब्ध होगी। मंगलवार से लोग जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए अंचल कार्यालयों में भी आवेदन दे सकते हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ निगम की जन्म-मृत्यु शाखा में ही थी। निगम का कंकड़बाग अंचल कार्यालय टेपो स्टैंड के पास, बांकीपुर अंचल कार्यालय राजेंद्र नगर गोलबार के पास लोशनपुर में, एनसीसी अंचल कार्यालय गार्दनीबाग में और पटना सिटी अंचल कार्यालय मीना बाजार में है। नगर आयुक्त अभियेक सिंह ने

### सुविधा

- चारों अंचल कार्यालय में भी मंगलवार से कर सकते हैं आवेदन
- पहले केवल नगर निगम मुख्यालय में ही होता था आवेदन

से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन होटिंग टैक्स जमा काउंटर

### वार्डों में लॉकडाउन होटिंग टैक्स जमा काउंटर

होटिंग टैक्स वकाला वसूलने व जमा को प्रोत्साहन देने के लिए निगम अब वार्डों में कैश लगाएगा। यह कैश सात से 15 दिनों के लिए लगेगा। नगर आयुक्त ने कहा कि कैश पहले उन वार्डों में लगेगे जहां वकालदारों और नए निर्माण की संख्या ज्यादा होगी। उन्होंने शहर के बड़े वकालदारों और उन सरकारी भवनों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं, जिनका होटिंग टैक्स भुगतान नहीं हुआ है। इस सूची में 10 से 50 हजार के बीच तथा 50 हजार से अधिक के वकालदारों को शामिल करना है।

प्रमाणपत्र से संबंधित जरूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। ई-प्रयुक्तिसिस्टम (एलटी) के तहत नागरिकों को जरूरी सुविधाएं

निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोग अब ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं।

### कपरा फेंकने पर 200 तक जुर्माना

पटना। पटना नगर निगम ने शहर और सड़क पर गंदगी फैलानेवाले लोगों के लिए जुर्माना की राशि तय कर दी है। व्यक्तिगत अथवा निजी घरों से निकले कचरे को फेंकने पर 100 रुपये तथा संस्थागत गंदगी पर 200का जुर्माना वसूला जाएगा। संस्थागत में दुकान और निजी-सरकारी कार्यालयों को शामिल किया गया है। निगम प्रशासन द्वारा तैयार प्रस्ताव में जुमाने का प्रावधान किया गया है। मंगलवार को होनेवाली निगम की संस्थागत स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव को रखा जाएगा। स्थायी समिति की मंजूरी और निगम बोर्ड से सहमति मिलने के बाद इसे पूरे शहर में लागू किया जाएगा।

सफाई होगी चाक-चौबंद : नगर आयुक्त ने बताया कि निगम अब शहर की मुख्य सड़कों पर दिन में दो बार झाड़ू लगाने तथा आरओबी को सफाई में दो बार धुलवाने की व्यवस्था कर रहा है। प्रकाश पर्व के लिए लिए गण मोबाइल टैब्लेट और यूटिलिटी भीड़भाड़ वाले बाजारों व सड़कों पर लगाए जाएंगे। प्रत्येक 500 मीटर पर यूटिलिटी और एक किनेटोमीटर की दूरी पर शौचालय रखे जाएंगे। कचरा फेंकनेवालों पर निगरानी रखने के लिए निगम प्रमुख बाजारों व भीड़भाड़ वाले इलाके पर सीसीटीवी से नजर रखने की तैयारी में है। इसके लिए भी निगम में योजना बनाई जा रही है।

सोमवार को नगर महिला काउंसिल

नोटवदी का रि